न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

मु0नं0 :– 2020 / 00015 : रज्जू दिनांक 03.12.2020

पूर्व नम्बर 96 / 2017

निर्णय दिनांक :– 29.7.2022

पीठासीन अधिकारी : मोहर सिंह मीना, आरएएस
सहायक कलक्टर लालसोट

1. कैलाश पुत्र शिवराम जाति मीना निवासी ग्राम तलावगांव तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1. जगदीश } पि0 काल्या जाति मीना निवासी तलावगांव तहसील लालसोट
2. बदरी } दौसा राज0
3. उप पंजियक लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :

1. श्री रोजश शर्मा, एडवोकेट : (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री संजीव जोशी, एडवोकेट : (अधिवक्ता अप्रार्थी)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी</u>

निर्णय दिनांक 29.7.22

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जगदीश पुत्र काल्या जाति मीना निवासी तलावगांव तहसील लालसोट द्वारा उनवानी प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश में इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा

26 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 13 ख0नं0 81 रकबा 2 बिस्वा ख0नं0 82 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 83 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 126 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 127 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 128 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 129 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 130 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा तथा खाता संख्या 12 ख0नं0 219/69 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा वाकै ग्राम तलावगांव तहसील लालसोट बाबत् एक अन्य वादपत्र विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बउनवानी जगदीश बनाम रामप्यारी मु0नं0 56/10 पूर्ववर्ती वादपत्र न्यायालय में जैरकार है। हस्तगत प्रकरण पश्चातवर्ती वादपत्र बउनवानी कैलाश बनाम जगदीश मु0नं0 3/2020 पूर्व नम्बर 96/2017 जिसमें विवाद विषय व पक्षकार समान है तथा पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद का अनुतोष भी समान है। इसलिए पूर्ववर्ती वाद बउनवानी जगदीश बनाम रामप्यारी मु0नं0 56/2010 विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जावे एवं हस्तगत प्रकरण को स्टे कर कार्यवाही स्थगित की जावे।

प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर जवाब हेतु नियत किया गया। प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी पेश कर अंकित किया कि उनवानी प्रकरण रामप्यारी बनाम जगदीश के पक्षकारान भिन्न है साथ ही उक्त प्रकरण का वाद हैतूक एवं उनवानी प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश का वाद हैतूक भिन्न भिन्न तथा अलग अलग समय के है। पूर्ववर्ती वाद रामप्यारी बनाम जगदीश की विषयवस्तु तथा संदर्भित वाद कैलाश बनाम जगदीश की विषयवस्तु में भिन्नता है केवल अनुतोष की समानता के आधार पर सुनवायी रोकना कानूनन गलत हे जबकि धारा 10 जा0दी0 ही स्पष्टतया उन्ही प्रकरणों पर लागू होती है जहां विषयवस्तु तथा पक्षकारान की एकरूपता प्रकट करती हो। जवाब में अंकित किया कि उनवानी प्रकरण रामप्यारी बनाम जगदीश को वादी द्वारा जानबूझकर देरीना किया जा रहा है जिसमें वादी पक्ष द्वारा समय पर मृत पक्षकारान के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके लिये प्रकरण में जरिये प्रार्थना पत्र अ.धा. 151 जा.दी. सूचना भी दी जा चुकी है। प्रकरण में दो बार कुर्रेजात प्राप्त हो चुके है तथा प्रार्थी प्रकरण को अनावश्यक देरीना करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनवानी प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश की कार्यवाही को रोका जाना कानूनन गलत एवं विधि विरूद्ध होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम रामप्यारी मु0नं0 56/2010 नवीन नं0 2021/565 एवं हस्तगत प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश समान पक्षकारों के मध्य समान प्रवृति के वाद है। विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि समान प्रकृति के दो प्रकरण में एक साथ कार्यवाही नही की जानी चाहिए अपितु पश्चात्वृति वाद की कार्यवाही को रोका जाकर पूर्ववृति वाद का निस्तारण किया जाना न्यायार्थ है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी जवाबी बहस में कथन किया कि पूर्ववर्ती वाद रामप्यारी बनाम जगदीश की विषयवस्तु तथा संदर्भित वाद कैलाश बनाम जगदीश की

विषयवस्तु में भिन्नता है केवल अनुतोष की समानता के आधार पर सुनवायी रोकना कानूनन गलत है जबकि धारा 10 जा0दी0 स्पष्टतया उन्ही प्रकरणों पर लागू होती है जहां विषयवस्तु तथा पक्षकारान की एकरूपता प्रकट करती हो। उनवानी प्रकरण रामप्यारी बनाम जगदीश को वादी द्वारा जानबूझकर देरीना किया जा रहा है जोकि पूर्ववर्ती वाद के रूप में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी 2011–12 (SUPP.) पेज 396 न्यायिक दृष्टांत का अवलम्बन लिया ।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर गौर फरमाया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी तथा जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उनवानी प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश मु0नं0 96/2017 नवीन नं0 3/2020 दिनांक 06.07.2017 से दर्ज होकर बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा खाता संख्या 13 ख0नं0 81 रकबा 2 बिस्वा ख0नं0 82 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 83 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 126 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 127 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 128 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 129 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 130 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा तथा खाता संख्या 12 ख0नं0 219/69 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम तलावगांव तहसील लालसोट इस न्यायालय में विचाराधीन है, प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होकर कुर्रेजात प्राप्त हो चुके हैं। एक अन्य प्रकरण उनवान जगदीश बनाम रामप्यारी मु0नं0 56/2010 नवीन नं0 2021/565 सन् 2010 से दर्ज होकर खसरा नम्बर 131 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 13 ख0नं0 81 रकबा 2 बिस्वा ख0नं0 82 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 83 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 126 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 127 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 128 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 129 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 130 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा तथा खाता संख्या 12 ख0नं0 219/69 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा वाकै ग्राम तलावगांव तहसील लालसोट तलबी कायम मुकामान में विचाराधीन है। उक्त विवेचना एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 के सन्दर्भ में दौनो प्रकरणों की प्रकृति एवं अनुतोष के निम्न तथ्य सामने आते है–

1. उक्त विवेचन से उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम रामप्यारी पूर्ववृति एवं कैलाश बनाम जगदीश पश्चात्वृति वाद सिद्ध है। चूंकि प्रकरण जगदीश बनाम रामप्यारी सन् 2010 में दर्ज हुआ है। जबकि प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश 2017 में दर्ज हुआ है।
2. प्रश्नगत भूमि को देखा जाय तो दोनो प्रकरणों जगदीश बनाम रामप्यारी और कैलाश बनाम जगदीश में केवल एक खसरा नम्बर 131 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम तलावगॉव की भिन्नता है। जिसके खातेदार मुताबिक संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065

स्व. कन्हैया हि0 2/3 कौम मीना है। प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश में जिन खसरा नम्बरान् के बारे में अनुतोष चाहा है। उन्ही खसरा नम्बरान् सहित आलौच्य खसरा नम्बर 131 का समान अनुतोष ही प्रकरण जगदीश बनाम रामप्यारी में चाहा गया है। यदि प्रकरण जगदीश बनाम रामप्यारी का निस्तारण होता है तो अन्य प्रकरण कैलाश बनाम जगदीश के निस्तारण का कोई औचित्य ही नही है। वादकरण एवं अनुतोष दौनो वादों में प्रत्यक्ष एवं सारवान् रूप से समान होने से अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर अप्रार्थी अधिवक्ता के तर्को को बल प्रदान नहीं करता।

3. दौना वादों मे कुछ पक्षकारों के अलावा मूल रूप से पक्षकार भी समान ही है। दौनो प्रकरण विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के होने से वादो की प्रकृति एवं अनुतोष भी प्रत्यक्ष रूप से समान है।

आदेश

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर दौनो विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारो, प्रश्नगत भूमि एवं अनुतोष की समानता सिद्ध होती है। वादकरण व अनुतोष में प्रत्यक्ष व सारवान् रूप से दौनो वादों में कोई भिन्नता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 10 एवं 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पश्चात्वृती वाद कैलाश बनाम जगदीश को स्टे कर आगामी कार्यवाही रोके जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण पूर्ववृती वाद जगदीश बनाम रामप्यारी के साथ संलग्न रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास आज दिनांक 29.7.22 को सुनाया गया।

मोहर सिंह मीना (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
लालसोट

28.7.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना अंतर्गत धारा 10 CPC स्वीकार किया जाकर इस वादपत्र को स्टे किया जाता है। विस्तृत निर्णय कंप्यूटर से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली संलग्न पूर्ववर्ती वाद रहे।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)